

डिक्री बमुकहमें इब्तादाई

(आदेश 20 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-ढेहरी

मु0न0 226/2017

वादीगण-

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी बरसुणा तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

राजस्व लोक अदालत अभियान
ध्याय आपके द्वार-2018

1. हिम्मतसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. दलजीतसिंह पुत्र जसवन्त सिंह जातियान राजपूत निवासीगण बरसुणा तहसील जायल जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-11.06.2018

यह मुकहमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी सुरेन्द्रसिंह के हक बंट में मौजा बरसुणा का खेत ख नं 246 रकबा 17.16 बीघा में से 10 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी हिम्मतसिंह के हक बंट में मौजा बरसुणा का खेत ख नं 246 रकबा 17.16 बीघा में से 7.06 बीघा उत्तरी भाग व खेत ख नं 98 रकबा 13.06 बीघा सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी दलजीतसिंह के हक बंट में मौजा बरसुणा का खेत ख नं 145 रकबा 1.03 बीघा व खेत ख नं 78 रकबा 02.17 बीघा व खेत ख नं 107 रकबा 0.02 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकहमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योगो तक x को भुगतान करे। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.06.2018 को जारी किया गया।



राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुद्दे	रूपये	जायल (नागौर)	रूपये	वैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प यजह साबूत			मेहनताना वकील	
खर्चा मयाद			खर्चा गवाहन	
फीस कमीष्जर			फीस कमी'जर	
बबत इजराय हुक्मीजान			बाबत इजराय हुक्मीजान	
मुतफरिक			मुतफरिक	

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फीकीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-ढेहरी

क्रमांक-रा.लो.अदा.अभि./2018/SS3

दिनांक- 11.06.2018

तहसीलदार जायल को डिक्री आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिक्री आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर